II–11

संख्या ओ० एम०/आर-1-046/78/605

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,

(संघठन एवं पद्धति प्रशाखा)

प्रेषक,

श्री ईश्वरी प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिलापदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 28 अगस्त, 1978 ।

विषय :—निलंबित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबन से मुक्त कर पुनः नियुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि विभिन्न विभागों से प्राप्त निलंबित राजपत्रित पदाधिकारियों की त्रैमासिक सूची के समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि अनेकानेक पदाधिकारी काफी लम्बे अर्से से निलंबन में हैं एवं इस अवधि में उन्हें जीवन यापन भत्ता दिया जा रहा है जिससे सरकार को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है । अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे निलंबित राजपत्रित पदाधिकारियों को, जिनके निलंबन की अवधि २ साल से अधिक हो गयी है, तथा जिनके विरुद्ध मुकदमा जारी नहीं है, उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया जाय और उन्हें पुनः नियुक्त (reinstate) किया जाय । ऐसे पदाधिकारियों को पुनः नियुक्त (reinstate) करने के पश्चात सम्बन्धित प्रधान सचिव हरेक मामले को स्वयं ठीक से देख लें और यदि कोई ऐसा मामला हो जिसमें सम्बन्धित पदाधिकारी को निलम्बित रखना ही आवश्यक समझा जाय तो पुनः मुख्य मन्त्री का आदेश प्राप्त कर उन्हें निलंबित किया जाय ।

इसी प्रकार अराजपत्रित पदाधिकारियों को भी, जिनके निलंबन की अवधि २ साल से अधिक हो गयी है तथा जिनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा जारी नहीं है बल्कि केवल विभागीय कार्यवाही चलायी जा रही है; निलंबन से मुक्त कर दिया जाय एवं उन्हें पुनः नियुक्त (reinstate) किया जाय ।

पत्र प्राप्ति की सूचना देने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,
(ईश्वरी प्रसाद)
14-4-78
सरकार के प्रधान सचिव ।